

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2023 – निगरानी

- समस्त ग्रामवासी जवानपुरा पंचायत बनाम 1. श्रीमती लाली देवी पत्नी नारायण टोकरवाड पंचायत समिति हुरडा जिला जाट निवासी अमरपुरा तहसील भीलवाडा जरिये – हुरडा
1. चम्पालाल पुत्र कजौड जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरडा
 2. घासीराम पुत्र अम्बालाल जाट निवासी जवानपुरा
 3. हेमराज पुत्र घासीराम जाट निवासी जवानपुरा
 4. माधु पुत्र हरदेव जाट निवासी जवानपुरा
 5. उगमा पुत्र घीसा जाट निवासी जवानपुरा
 6. श्रवण पुत्र भैरू जाट निवासी जवानपुरा
 7. घासी पुत्र पन्ना जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत जाल खेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जाल खेडा पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाडा

– निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधि0, विरुद्ध विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी दिनांक 05.07.2022 की मिसल संख्या 151 पट्टा संख्या 19 को निरस्त कराने बाबत

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री कौशल कुमार जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 ओर से
3. श्री रमेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.06.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का देवरिया तहसील हुरडा की सरहद में आराजी संख्या 108 रकबा 3.04 बीघा भूमि गे.मु. बाडा बिलानाम गैर काबिल काश्त थी जिसमें से से 1.16 बीघा आबादी हेतु सेट अपार्ट कर दी गयी। शेष आराजी में से 12 बिस्वा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जवानपुरा को ग्राम पंचायत उंखलिया के द्वारा

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा पट्टा जारी करने में किसी प्रकार पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गयी। विपक्षी संख्या 01 का पट्टेशुदा भू भाग पर कभी कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 01 ग्राम जवानपुरा के निवासी भी नहीं हैं। पट्टा जारी किया गया उसकी कोई पत्रावली कायम नहीं की गयी तथा न ही नियम 144 से लगायत 157 तक की कोई पालना की गयी है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा न तो पत्रावली शुल्क जमा कराया गया है एवं न ही नक्शा एवं निरीक्षण शुल्क जमा कराया है। नियमानुसार पट्टा जारी होने से पूर्व तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करनी होती है, किन्तु उक्त प्रकरण में तीन वार्ड पंचों द्वारा कोई मौका रिपोर्ट पेश नहीं की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई आपत्ति सूचना पत्र जारी किया गया। निगराकार ग्राम जवानपुरा के निवासी होकर ग्राम जवानपुरा के विकास एवं उत्थान के लिए ही इस निगरानी को पेश किया जा रहा है। प्रश्नगत पट्टे की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल लेने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं होना बताया गया। इससे जाहिर होता है कि प्रश्नगत पट्टा पूर्णतया नियमों के विपरीत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अवैध पट्टे को पंजीकृत करवाया गया, हालांकि पंजीकृत करवाने मात्र से पट्टा वैध नहीं हो जाता, क्योंकि मूल पट्टा नियमों के विपरीत है। निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 01 के नाम मिसल संख्या 151 के जरिये जो पट्टा संख्या 19 जारी किया गया है उसे अपास्त किया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 को उक्त प्रश्नगत आराजी पर लम्बे अरसे से कब्जा होने से एवं प्रश्नगत आराजी ग्राम पंचायत जालखेडा की आबादी क्षेत्र में होने से गैर निगराकार संख्या 01 के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 151 दिनांक 21.03.2022 कायम कर, मौका निरीक्षण करा एवं नियमानुसार शुल्क जमा करके तथा सरपंच ग्राम पंचायत जालखेडा एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक 05.04.2022 को सूचना पत्र जारी कर वार्ड पंचों के निर्देशन में मौका रिपोर्ट बनायी जाकर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। प्रकरण

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी निगरानी में एवं बहस में व्यक्त किया किया है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत किन्हीं भी नियमों की पालना नहीं की जाकर विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। पट्टे जारी करने से पूर्व आपत्ति जारी नहीं की गयी, मौका निरीक्षण नहीं किया गया इत्यादि। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मिसल पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करके नियमानुसार आपत्ति पत्र जारी कर एवं तीन वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवाकर एवं पट्टा शुल्क नियमानुसार जमा करवाकर विधि अनुसार पट्टा जारी किया जाना इंगित होता है। इस प्रकार निगराकार द्वारा उठाये गये तथ्य निराधार एवं कोर कल्पित प्रतीत होते हैं। निगराकार ने निगरानी में स्वयं को ग्रामवासी जवानपुरा पंचायत टोकरवाड को निवासी होना बताया है, जबकि प्रश्नगत पट्टा राजस्व ग्राम अमरपुरा पंचायत जालखेडा का है। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टे पर निगराकारगणों की कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं बनती है।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि कार्यालय जिला कलक्टर (सतर्कता) भीलवाडा के पत्रांक/एफ. 41-1(1)(अ)01/सतर्कता/10/बैठक/11/2022 दिनांक 07.12.2022 की बैठक कार्यवाही विवरण अनुसार बैठक दिनांक 20.10.2022 में प्रदत्त निर्देश के क्रम में जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति हुरडा द्वारा बैठक समिति को तथ्यों से अवगत कराया जिसमें ग्राम पंचायत जालखेडा के द्वारा वर्ष 2021-22 में जारी पट्टे आराजी नंबर 108/1 गे.मु. आबादी की सीमा के अन्दर पाये जाकर वैध हैं। इस प्रकार निगराकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय को जो शिकायत दर्ज करायी वह भी निराधार पायी गयी।

निगराकारगण ने निगरानी में के साथ मात्र गैर निगराकार संख्या 01 के नाम जारीशुदा पट्टे की फोटोप्रति संलग्न की हैं। ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि उन्होंने पंचायत से मिसल की नकल लेने हेतु कोई आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र पेश किया हो। न ही निगराकारगणों द्वारा जिला कलक्टर सतर्कता समिति की बैठक में सही पाये गये पट्टों के खण्डन में कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश किये गये। निगराकारगणों का कथन की प्रश्नगत पट्टा भूमि पर गैर



128

निगराकार संख्या 01 का कब्जा नहीं है, इस बाबत कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत से मूल मिसल पत्रावली तलब किये जाने पर मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात निगराकारगणों द्वारा पेश नहीं किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन में कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।


उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 151 दिनांक 05.07.2022 के जरिये पट्टा संख्या 19 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जालखेडा द्वारा मिसल संख्या 151 दिनांकित 05.07.2022 के जरिये पट्टा संख्या 19 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत जालखेडा पंचायत समिति हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलकत्ता,
भिलवाड़ा